The Jharkhand Restriction on Construction in Unsafe Areas Act, 2002

Act 6 of 2004

Keyword(s):
Text of Act is in Hindi, Nirman, Khan, Adhisuchna, Vihit

Amendment appended: 7 of 2005

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 303

9 भाद्र, 1926 शकाब्द
राँची, मंगलवार 31 अगस्त, 2004

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 अगस्त, 2004

संख्या-एल०जी०-8/2002-24/लेज०--झारखण्ड विधान-सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 24 अगस्त, 2004 को अनुमति दे चुके हैं । इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज ऐक्ट, 2002

(अधिनियम संख्या 06/2004)

झारखण्ड राज्य में खनन् कार्य अथवा अन्य कारणों से असुरक्षित पाये गये क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए यह अधिनियम लागू होना है ।

झारखण्ड राज्य में खनन् कार्य या अन्य कारणों से असुरक्षित पाये गये क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाया जाना जनहित के दृष्टिकोण से समीचीन है ।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के 53वें वर्ष में यह निम्न प्रकार अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-**
   (i) यह अधिनियम "दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज ऐक्ट, 2002 के नाम से जाना जायेगा ।
   (ii) यह सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर लागू होगा ।
   (iii) यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. **परिभाषाएँ** :- इस अधिनियम में, अन्यथा संदर्भित स्थिति न होने तक-

(क) 'निर्माण' का अर्थ भवन या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण करना अथवा भवन, भवनों या संरचनाओं में अतिरिक्त निर्माण या परिवर्तन करना है । परंतु इसमें वर्त्तमान भवनों या संरचनाओं की मरम्मती शामिल नहीं होगा ।
(ख) 'खान' का अर्थ वही होगा जैसा माइन्स ऐक्ट, 1952 में दिया गया है ।
(ग) 'अधिसूचना' का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है ।
(घ) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों से विहित होने से है ।

3. **सूचना की प्राप्ति के उपरांत जाँच** :- जिला दण्डाधिकारी, ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने के उपरांत कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी क्षेत्र में खनन् कार्य के फलस्वरूप या अन्यथा किसी कारणवश भू-धसान की संभावना है, तो वे इसकी जाँच ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें वांछित योग्यता प्राप्त हो, से वैसे तरीके से जो विहित हो, से करायेंगे ।

4. **असुरक्षित क्षेत्रों की घोषणा** :- जिला दण्डाधिकारी जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के उपरांत संतुष्ट हों, कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर यदि किसी क्षेत्र में खनन् कार्य के फलस्वरूप या अन्यथा किसी कारणवश भू-धसान की संभावना है तो वे भू-धसान होने की संभावना वाले क्षेत्र की एक रूपरेखा अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान और इलाके के मानचित्र के संदर्भ के साथ विहित तरीके से आदेश प्रकाशित करते हुए असुरक्षित क्षेत्र की घोषणा करेंगे ।

5. **बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर रोक** :- यदि धारा-4 के अन्तर्गत कोई क्षेत्र असुरक्षित घोषित किया जाता है, तो उस क्षेत्र में बिना जिला दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा अथवा आगे जारी नहीं रहेगा ।

6. **दण्ड** :- कोई भी व्यक्ति, यदि धारा-5 के प्रावधान के विरुद्ध धारा-4 के अन्तर्गत घोषित असुरक्षित क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ या जारी रखता है, तो वह व्यक्ति धारा-7 के अन्तर्गत पूर्वाग्रह रहित की जाने वाली किसी कार्रवाई के तहत अधिकतम छः माह के लिये साधारण कैद की सजा या अधिकतम 2000/- रुपये जुर्माना या दोनों दण्ड का हकदार होगा और यदि वह इस तरह का अपराध जारी रखता है तो वह उल्लंघन की अवधि तक प्रतिदिन के लिये अधिकतम 500/- रु० के अतिरिक्त जुर्माने का हकदार होगा ।

7. **निर्मित संरचना को ध्वस्त करने की शक्तियाँ** :- जहाँ कहीं भी धारा-5 के प्रावधान के विरुद्ध कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, या आगे जारी है, तो जिला दण्डाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वैसी संरचना के मालिक या दखलकार (जो मालिक नहीं हों) को, अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन्हें सुनने का एक अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि के अंदर प्रारंभ या जारी निर्माण को ध्वस्त करने के लिए ऐसा आदेश दे सकते हैं, और यदि निर्धारित तिथि के अंदर अगर निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया, तो जिला दण्डाधिकारी स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा ऐसे निर्माण को ध्वस्त करा सकते हैं, और इस प्रकार ध्वस्त कराने के खर्च को जिला दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे निर्माण के मालिक से लोक मांग के रूप में वसूल किया जाएगा ।

8. **इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के प्रति संरक्षण :-** कोई वाद, अभियोजन या अवैध कार्यवाही (किसी क्षति के लिये की गयी कार्रवाई भी जिसमें शामिल है) अच्छी मंशा से की गई किसी कार्रवाई या कार्रवाई करने की इच्छा या किसी प्रकार का नुकसान होने या किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना के लिये, इस अधिनियम या किसी नियम या उसके तहत राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी आदेश के तहत अच्छी मंशा से की गई कार्रवाई के विरुद्ध नहीं चलेगी ।

9. **अपराध का संज्ञान :-**कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत सजा दिये जाने वाले अपराध के लिये तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब-तक कि जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा लिखित रूप से शिकायत दायर नहीं किया जाय ।

10. **अपराध का समाहितीकरण :-**इस अधिनियम के तहत सजा दिए जाने वाले किसी अपराध का अभियोजन के पूर्व या बाद भी जिला दण्डाधिकारी के द्वारा विहित शर्त एवं अनुबंध के साथ समाहितीकरण किया जा सकेगा ।

11. **अपील :-** (1) कोई भी व्यक्ति जिला दण्डाधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश से क्षुब्ध होने पर इस आदेश के विरुद्ध आदेश संसूचित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष विहित तरीके से अपील दायर कर सकता है ।
(2) व्याख्या- उपरोक्त उप-धारा के लिये विहित तरीके से आदेश प्रकाशित करने की तिथि ही आदेश संसूचित करने की तिथि होगी ।
(3) उपधारा-(1) के अन्तर्गत दायर अपील का निष्पादन किसी पदाधिकारी जो (सरकार के सचिव या प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर से नीचे का नहीं हो), के द्वारा किया जायेगा ।

12. **राज्य सरकार द्वारा कुछ मामलों में आदेशों का पुनरीक्षण :-** राज्य सरकार स्वत: या अन्यथा इस अधिनियम के तहत जिला दण्डाधिकारी के द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है ।

13. **नियम बनाने की शक्ति :-**

(i) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को लागू करने के लिये नियम बना सकती है ।
(ii) विशेष रूप से पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, ये नियम सबके लिये या वैसे सभी मामलों में जहाँ आवश्यक हो, लागू होंगे ।

14. **खानों में प्रावधानों का लागू न होना :-** इस अधिनियम के प्रावधान खान अधिनियम 1952 की धारा (2) की उपधारा (1) की कंडिका (b) के तहत परिभाषित खान के लिए लागू नहीं होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
तारकेश्वर प्रसाद,
सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 478

10 भाद्र 1927 शकाब्द
राँची, वृहस्पतिवार 1 सितम्बर, 2005

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 अगस्त, 2005

संख्या-एल०जी०-08/2002-57/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 17 अगस्त, 2005 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है--

दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज (संशोधन) अधिनियम, 2005
[झारखण्ड अधिनियम, 07, 2005]

"दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज एक्ट, 2002" (अधिनियम सं०-06/2004) की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में हुई अशुद्धियों के संशोधन एवं शुद्धिकरण हेतु संशोधन अधिनियम ।

भारतीय गणतंत्र के 56वें वर्ष में यह निम्न प्रकार अधिनियमित हो :--

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(i) यह अधिनियम "दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज (संशोधन) अधिनियम, 2005" कहलायेगा ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. हिन्दी पाठ में निम्नांकित संशोधन/शुद्धिकरण किया जायेगा :

(i) दि झारखण्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्सट्रक्शन इन अनसेफ एरियाज एक्ट, 2002 (जिसे आगे मूल एक्ट के रूप में अभिहित किया जायेगा) की धारा-6 में "हकदार" शब्द के स्थान पर "भागी" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) मूल एक्ट की धारा-8 में "अवैध" शब्द के स्थान पर "वैध" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iii) मूल एक्ट की धारा-11 की उपधारा-(3) निम्न प्रकार संशोधित एवं पठित होगी :
"(3)-उपधारा (1) के अन्तर्गत दायर अपील का निष्पादन इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी (जो सरकार के सचिव या प्रमंडलीय आयुक्त से न्यून स्तर के नहीं हों) यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे ।"

(iv) मूल एक्ट की धारा-14 में (b) के स्थान पर (बी) प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित संशोधन/शुद्धिकरण किया जायेगा :

(i) मूल एक्ट की अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ की धारा-6 में "Whom" के स्थान पर "Who" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ii) मूल एक्ट की अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ की धारा-7 निम्न प्रकार संशाधित एवं पठित होगी--

"7. The Power to demolish Construction:- Where any construction has been commenced or being continued in contravention of the Provisions of section-5, the District Magistrate having the jurisdiction may, after giving the owner of such construction and also to the occupier (if the owner is not the occupier) an oportunity of being heard, make an order directing the demolition of the construction commenced or continued within such period as may be specified in the order and indefault, the District Magistrate may cause or through a person authorised by him, in this behalf, cause demolition of such construction and the cost thereof shall be recoverable by the District Magistrate from the owner of the construction as a public demand.

(iii) मूल एक्ट की धारा-8 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "Protection" शब्द के बाद "of" शब्द अंतस्थापित किया जायेगा । इस धारा में "illegal proceedings" शब्दों के स्थान पर "legal proceedings" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे तथा इस धारा के अंत में "," (अल्प विराम) के स्थान पर "." (पूर्ण विराम) प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(iv) मूल एक्ट की धारा-9 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "in his behalf" वाक्यांश के स्थान पर "in this behalf" वाक्यांश प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(v) मूल एक्ट की धारा-11 की उपधारा (iii) अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "disposed off" शब्दों के स्थान पर "disposed of" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे तथा "Division Commissioner" के स्थान पर "Divisional Commissioner" पदनाम प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(vi) मूल एक्ट की धारा-14 अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ में "Provision" शब्द के स्थान पर "Provisions" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
मुनीन्द्र मिश्र,
प्रभारी सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।